राजनीति विज्ञान - बी॰ए॰ प्रथम वर्ष

सामाजिक समझौते का सिद्धांत - परिचय

राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप आया। यूरोप में 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों में यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य था। वैज्ञानिक चिंतन तथा प्रजातंत्रीय भावना के विकास के कारण यह धारणा सर्वमान्य होने लगी कि राज्य एवं सरकार इन दोनों का स्रोत कोई दैवीय सत्ता न होकर व्यक्ति का इच्छा है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि राज्य कोई दैवीय कृति न होकर मनुष्य के चिंतन का प्रतिफल है। इसे मनुष्यों ने अपने जीवन की असुविधाओं को दूर करने तथा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आपस में समझौता कर के बनाया है। 16 वी शताब्दि में ही कुछ विद्वानों के चिंतन में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं परंतु 17 वीं शताब्दि मे यह प्रसिद्ध हुआ तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय इसकी मान्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी।

इस सिद्धांत के प्रतिनिधि विचारकों में थॉमस हाब्स, जॉन लॉक एवं रूसो का नाम महत्वपूर्ण है। इन तीनों ही विचारकों के विचारों का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है। इन तीनों ही विचारक राज्य के आस्तित्व में आने से पहले एक प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। हाब्स मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था थी जिसमे प्रत्येक व्यक्ति भय के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रत्येक प्रकार की कला, साहित्य तथा चिंतन का अभाव था। इस प्राकृतिक अवस्था में किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नही था। इन्ही परिस्थितियों से बचने के लिए मनुष्यों ने आपस में मिलकर समझौता किया तथा राज्य की स्थापना हुई। दूसरे विचारक हैं जॉन लॉक इनका मानना है कि प्राकृतिक अवस्था शांति एवं प्रेम की अवस्था थी, मनुष्यों में किसी प्रकार का वैर भाव नही था। लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, वह प्राकृतिक विधियों के द्वारा संचालित होता था। समस्या तब उत्पन्न हुई जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के मामले में स्वयं ही प्राकृतिक विधियों को परिभाषित करने लगा, जिसके कारण

Scanned with CamScanner

अव्यवस्था उत्पन्न हुई। इसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता कर समाज एवं राज्य जैसी संस्थाओं का निर्माण किया। इस सिद्धांत के तीसरे विचारक हैं रूसो, इन्होंने भी समझौते से पहले एक प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि इस अवस्था में मनुष्य का जीवन आनंद से परिपूर्ण था वह पूरी तरह से प्रकृति के प्रांगण में एक भोले-भाले अज्ञानी का भाँति विचरण करता था लेकिन जनसंख्या की वृद्धि एवं संपत्ति के उद्भव ने इस प्राकृतिक अवस्था की शांति को भंग कर दिया जिसके कारण मनुष्यों ने आपस में मिलकर समझौता कर राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया। उन्होंने अपने समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को समर्पित कर दिया।

सामाजिक समझौते सिद्धांत का विकास:⇒ ऐसा नहीं है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत नया है, यह प्राचीन काल में भी उपस्थित था। भारतीय ग्रन्थ शान्तिपर्व (महाभारत) में इसका उल्लेख मिलता है। जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रन्थ के लेखक आचार्य कौटिल्य का भी मानना है कि राजा को उसके अधिकार समझौते से प्राप्त होते हैं। प्राचीन यूनान में सोफिस्टों के चिंतन में भी राज्य के संदर्भ में समझौते का उल्लेख मिलता है। आधुनिक समय में जिन विचारकों के चिंतन में सामाजिक समझौते का उल्लेख मिलता है उनमे सर्वप्रथम नाम है रिचर्ड हूकर का जिन्होंने अपनी पुस्तक The Law of Ecclesiastical Polity मे इसकी चर्चा की है। अन्य विचारकों में अलथ्यूसियस, ह्यूगो ग्रोशस, सैम्युवल प्यूफेनडर्फ, स्पिनोजा का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि कि प्राचीन दार्शनिक प्लेटो एवं अरस्तू राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते थे।

सामाजिक समझौते का सिद्धांत दो शताब्दियों तक सही माना गया लेकिन 18 वी शताब्दी में ही कुछ विचारकों ने इस सिद्धांत की निरसता को समझ लिया था। फ्रेंच विचारक मान्टेस्क्यू, अंग्रेज दार्शनिक डेविड ह्यूम तथा बर्क ने इस सिद्धांत को नकारते हुए विभिन्न आधारों पर इसकी आलोचना भी प्रस्तुत किया।

Scanned with CamScanner